न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 11/2020 (अपील)

GCMS No. 2020/00076

1. फूला देवी पत्नि कालूराम जाति चौबदार निवासी मकान नम्बर 632 हनुमान नगर दादाबाडी कोटा राजस्थान
2. कालूराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति चौबदार निवासी मकान नम्बर 632 हनुमान नगर दादाबाडी कोटा राजस्थान

––अपीलाण्ट

बनाम

1. सुनीता उर्फ मुनिया पत्नि राजेश जाति चौबदार निवासी मकान नं. 632 हनुमान नगर दादाबाडी कोटा राजस्थान

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एवं सीनियर सिटीजन ड्राफ्ट बिल 2018 आदेश दिनांक 17.12.2019 अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा उनवान फूला देवी बनाम सुनीता उर्फ मुनिया प्रकरण संख्या 18/2019

उपस्थितः– श्री कन्हैया सोनी, अभिभाषक अपीलांट

दिनांकः– 22 /12/2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 माता पिता ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुनवाई कर दिनांक 17.12.2020 को आदेश पारित किया कि–" प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस प्रदर्शित तथ्यों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रकरण सम्पत्ति विवाद का होना जाहिर होता है । प्रार्थीगण द्वारा भी अपने पुत्र के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए मात्र अपनी पुत्रवधु के विरूद्व ही कार्यवाही अर्थात अपनी पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने हेतु निवेदन किया गया है । प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ही सम्पत्ति के कारण उत्पन्न होने वाला पारिवारिक विवाद होना प्रतीत होता है । अतः प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 15.01.2020 को पेश कर कथन किया है कि अपीलान्ट्स वरिष्ठ नागरिक है तथा बुजुर्ग एवं बीमार दम्पत्ति है । रेस्पोडेन्ट पुत्रवधु है । अपीलान्ट द्वारा अपने जीवनकाल में मेहनत कर अपनी स्वयं अर्जित आय से एक मकान का निर्माण करवाया था जिसमें वर्तमान में सायलान व रेस्पोडेन्ट मकान नं. 632 हनुमान नगर दादाबाडी कोटा राजस्थान में निवास करते चले आ रहे है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपस्थिति दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर ध्यान दिये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है । पत्रावली पर उपलब्ध कथनो एवं साक्ष्यों का न्यायिक पूर्ण विवेचन नहीं किया जाकर तथ्य एवं विधि की भूल कारित की है एवं विधि सम्मत आदेश पारित नहीं किया गया है रेस्पोडेन्ट योग्य अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलान्टगणों के कथनों का भी कोई खण्डन एवं ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे की यह बात साबित होती हो कि रेस्पोडेन्ट का व्यवहार अपीलान्टगणों के साथ कूरता पूर्वक नहीं रहा हो और उनके मकान में जबरन निवास कर उनके साथ आये दिन लडाई झगडा मारपीट कारित नहीं करती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा थाना दादाबाडी कोटा शहर से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की

है जिसमें भी सम्बन्धित थानाधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी इस बात का कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट का व्यवहार उसके परिवारजनों के साथ अच्छा नहीं है और इस रिपोर्ट पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई न्यायिक मत नहीं प्रयोग किया जाकर सरसरी तौर पर अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अपीलान्ट क्रम 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2 दक्षिण कोटा में भी घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो माननीय न्यायालय में जेरकार है अपीलान्टगणों के पुत्र राजेश के द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व उसके व उसके परिवारजनों के साथ किये जा रहे क्रूरतापूर्ण व्यवहार की वजह से माननीय पारिवारिक न्यायालय क्रम 3 कोटा में भी विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है । अपीलान्ट्स द्वारा अपने बडे पुत्र राजेश को अपनी सम्पत्तियों से बेदखल कर इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवा रखी है इसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट जबरदस्ती अपीलान्ट्स के मकान में जबरन निवास कर रही है जिसका उसको कोई विधिक अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट के क्रूरतापूर्ण व्यवहार से परेशान होकर रेस्पोडेन्ट का पति राजेश भी अपने घर को छोडकर अलग निवास कर रहा है और रेस्पोडेन्ट का व्यवहार अपीलान्टगणों के साथ अच्छा नहीं है एवं क्रूरतापूर्वक है । इस बात की तस्दीक भी थानाधिकारी दादाबाडी कोटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में भी की जा चुकी है और रेस्पोडेन्ट आये दिन अपीलान्टगणों के साथ लडाई झगडा मारपीट इत्यादि कर रही है एवं उनको शांतिपूर्ण तरीके से अपीलान्टगण के मकान में निवास नहीं करने दे रही है एवं उक्त मकान में जबरन कब्जा किये हुये है । अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 17.12.2019 अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट्स के मकान से बेदखल करने का आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं हुई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपने जीवनकाल में मेहनत कर अपनी स्वयं अर्जित आय से एक मकान का निर्माण करवाया था जिसमें वर्तमान में सायलान व रेस्पोडेन्ट मकान नं. 632 हनुमान नगर दादाबाडी कोटा राजस्थान में निवास करते चले आ रहे है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपस्थिति दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर ध्यान दिये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है । पत्रावली पर उपलब्ध कथनो एवं साक्ष्यों का न्यायिक पूर्ण विवेचन नहीं किया जाकर तथ्य एवं विधि की भूल कारित की है एवं विधि सम्मत आदेश पारित नहीं किया गया है रेस्पोडेन्ट योग्य अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलान्टगणों के कथनों का भी कोई खण्डन एवं ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे की यह बात साबित होती हो कि रेस्पोडेन्ट का व्यवहार अपीलान्टगणों के साथ क्रूरता पूर्वक नहीं रहा हो और उनके मकान में जबरन निवास कर उनके साथ आये दिन लडाई झगडा मारपीट कारित नहीं करती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा थाना दादाबाडी कोटा शहर से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें भी सम्बन्धित थानाधिकारी द्वारा अपनी रिपौर्ट में भी इस बात का कथन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट का व्यवहार उसके परिवारजनों के साथ अच्छा नहीं है और इस रिपोर्ट पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई न्यायिक मत नहीं प्रयोग किया जाकर सरसरी तौर पर अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अपीलान्ट्स सीनियर सिटीजन है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एवं ड्राफ्ट बिल 2018 में निहित प्रावधानों के तहत निर्णय पारित नहीं किया गया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश

दिनांक 17.12.2019 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट्स के मकान से बेदखल करने का आदेश प्रदान करें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 17.12.2020 के विरूद्व दिनांक 15.01.2020 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य एवं तथ्य पेश नहीं किये है, किन्तु यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की गई है, ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा एवं भरण पोषण हेतु दिये गये प्रावधानों के तहत विधि के परिपेक्ष्य में सुनवाई हेतु हम प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाते है ।

6. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत विहित प्रावधानों के तहत सुनवाई की जाकर नवीन निर्णय पारित करें ।

7. निर्णय आज दिनांक **22.12.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर
कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा